(222)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प0 5(3)नविवि/3/99 पार्ट जयपुर दिनांकः– 8 MAY 2009

परिपत्र

विषयः– राजस्थान में निजी आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करने के संबंध में–बाहरी विकास कार्य ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निजी विकासकर्त्ताओं/खातेदारों की योजनाओं के क्रियान्वयन में बाहरी विकास (External Development) शुल्क के संबंध में आ रही कठिनाईयों पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षणोपरान्त निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 1.1.02 के पार्ट बी में **बाहरी विकास कार्य यथा लिंक रोड़, सीवरेज आदि** का प्रावधान किया गया है। यहां "आदि" शब्द महत्वपूर्ण है, इसमें पेयजल, विद्युत व्यवस्था तथा प्रकरण विशेष में अन्य प्रकार के बाहरी विकास कार्य भी शामिल होगें।
2. निजी निवेशकर्त्ता/खातेदार द्वारा बाहरी विकास कार्य हेतु जमा कराई गयी राशि की सीमा में **ही विकास कार्य पर स्थानीय निकाय द्वारा व्यय किया जावेगा। वास्तविक** खर्चा जमा कराई गई राशि से अधिक होने की स्थिति में अन्तर राशि संबंधित विकासकर्त्ता/खातेदार द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय/अन्य संस्थाओं में जमा कराई जावेगी।
3. जिन कार्यों को स्थानीय निकाय अपने स्तर से करवा सकती है उनका तखमीना तैयार कर निवेशकर्त्ता/खातेदार से व्यय की जाने वाली राशि जमा करवा ली जावे, जो 50/– रूपये प्रति वर्गमीटर से कम नही होगी।
4. ऐसे कार्य जो स्थानीय निकाय अपने स्तर पर नही करवा कर दूसरी संस्थाओं से करवाना उपयुक्त मानती है जैसे बाहरी विद्युत व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था उन्हे संबंधित संस्था/विभाग यथा विद्युत वितरण निगम/जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग से सम्पादित कराया जावें। ऐसी स्थिति में इन कार्यों हेतु जमा कराई गई राशि कार्य करने वाली संस्था/विभाग को भिजवाई जावे।
5. बाहरी विकास कार्यो का उपयोग एक से अधिक कालोनियों द्वारा किये जाने की स्थिति में **सभी कालोनियों से प्राप्त बाहरी विकास राशि को एक मद में रखी जाकर** व्यय किया जावे, जिसके लिए सभी स्थानीय निकाय एक पृथक से खाता संधारित करें, जिसमें प्राप्त होने वाली राशि एवं व्यय की गई राशि का पूर्ण विवरण हो।

(एस.ए.फारूकी)
शासन उप सचिव–द्वितीय

Brij Tawar Luttar